भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1587
उत्तर देने की तारीख 09 फरवरी, 2026
20 माघ, 1947 (शक)

खेल विकास के लिए केंद्रीय योजनाएं

1587. श्री सौमित्र खान:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिष्णुपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में खेल सुविधाओं के विकास के लिए वर्तमान में कार्यान्वित किए जा रहे केन्द्रीय कार्यक्रमों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके अंतर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत और उपयोग की गई है;

(ख) क्या सरकार ने बिष्णुपुर में नए खेल कार्यक्रम शुरू करने और आधुनिक स्टेडियमों, बहुउद्देशीय इंडोर हॉलों, खेल छात्रावासों, सिंथेटिक ट्रैक, ग्रामीण खेल मैदानों और खेल विज्ञान / फिजियोथेरेपी सुविधाओं को विकसित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और समय-सीमा क्या है और लाभार्थी युवाओं / एथलीटों की संख्या कितनी है; और

(घ) राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और निजी भागीदारी के माध्यम से खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए सरकार की कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, विष्णुपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में खेल सुविधाओं के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है तथा केंद्र सरकार केवल उनके प्रयासों में पूरक की भूमिका निभाती है। तथापि, सरकार विष्णुपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देशभर में विभिन्न खेल संवर्धन स्कीमों का संचालन कर रही है। इन स्कीमों में (i) खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम; (ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता; (iii) अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं एवं उनके कोचों को नकद प्रोत्साहन; (iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार; (v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन; (vi) खिलाड़ियों के लिए

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम; (vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि; (viii) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन; तथा (ix) राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र (एनसीएसएसआर) शामिल हैं। इन स्कीमों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट https://yas.nic.in/ पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2024-25 में खेल विभाग को 2332.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, जिसमें से 2136.97 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया।

(ख) से (ग): खेलो इंडिया स्कीम गतिविधियों/कार्यक्रमों हेतु अपनी आवंटित बजटीय प्रावधानों के अधीन देशभर की आवश्यकताओं को पूरा करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा अन्य पात्र संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता तथा स्कीम के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता हेतु विचार किया जाता है। तथापि, खेलो इंडिया स्कीम (केआईएस) के "खेल अवसंरचना का निर्माण एवं उन्नयन" घटक तथा राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के अंतर्गत देशभर में खेल अवसंरचना जैसे कि सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी मैदान, सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड, बहुउद्देशीय हॉल, स्विमिंग पूल आदि के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केआईएस और एनएसडीएफ के अंतर्गत स्वीकृत खेल अवसंरचना परियोजनाओं का विवरण, उनकी स्वीकृत लागत, जारी धनराशि तथा उनकी वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति मंत्रालय के डैशबोर्ड क्रमश: https://mdsd.kheloindia.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

(घ) खेलो भारत नीति, 2025 शिक्षा के साथ अभिसरण, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सहयोग तथा सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु एक व्यापक नीतिगत रूपरेखा प्रदान करती है। जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण खेल सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने तथा देशव्यापी स्तर पर खेल उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना है।

*****